



2026:AHC:22816

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1445, वर्ष 2026

सत्यदेव गौड़

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

:

राम कृष्ण मिश्रा

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

:

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें वित्त अधिकारी, लेखा, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी जन्म तिथि 01.07.1964 है और संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात, वे 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हुए। तथापि, याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें शासनादेश दिनांक 12.06.2024 के अनुक्रम में जुलाई, 2023 से जून, 2024 तक की वैचारिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।
- विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 4, वित्त अधिकारी, लेखा, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
- अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 12.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 4, वित्त अधिकारी, लेखा, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 4 दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।

3 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"